उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांकः 797–E/ NCR / Policy/Sports
दिनांक : 11/08/2017

RBE No.80/2017
NCR PS No.5118/2017

समस्त विभागाध्यक्ष / उमरे / इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक / सा. मु.प्रशा. अधि / नि
मंडल रेल प्रबन्धक / कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन / आरआरसी / उत्तर मध्य रेलवे / इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक / झांसी, उप मु. अभि / सीपीओएच / इला., उप मु. अभि. / सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू / झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर / टीआरडी / झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि. / आईआरपीएमयू / नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी / ब्रिज / लाइन / इला. / झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन / ब्रिज लाईन / झांसी।
व.स.वि.स / कैश एवं पे / उमरे / इलाहाबाद।

Sub- Recruitment of sportspersons on Zonal Railways/Production Units against Sports Quotsa

A copy of Railway Board's letter No 2015/E(Sports)/4(1)/11 dated 31.07.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in P
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

11-8-17
(R.M.Yadav)
Asstt. Personnel Officer/IR
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक / एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर, पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी / एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

RBE No.80/ 2017
Clarification/Corrigendum No. 81

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

RBL-2017-1522
3-8-17

No. 2015/E(Sports)/4(1)/11 New Delhi, dated. 31.7.July, 2017

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

NCR

विषय: Recruitment of sportspersons on Zonal Railways/ Production Units against Sports Quota.

सन्दर्भ: Board's letter of even number dated 25.05.2016.

Attention is invited to Board's letter of even number dated 25.05.2016 wherein it was decided that the Group 'D' quota allotted for recruitment of sportspersons in Grade Pay Rs. 1800/- may be frozen for the year 2016-17.

It was decided in the Meeting of Presidents and Secretaries of Zonal Railways Sports Association's with RSPB held in Rail Bhawan on 08.05.2017 that the Freeze on Recruitment of sports persons in GP Rs.1800 will continue during the year 2017-18 also. During the meeting certain Units had raised the issue of non availability of vacancies in Group 'C' and requested for recruitment in Group 'D' to be in introduced in such case.

It has been decided that while freeze of Recruitment under sports quota in Grade Pay Rs.1800/- will continue in 2017-18 also, in case of non availability of vacancies in Group 'C' in any Production Unit, they can approach Railway Board with their proposal to recruit sportspersons in erstwhile Group 'D' category against open advertisement with full justification with recommendation of their General Managers.

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director, Estt.(Sports)

03.8.17
CPO

CPO/A
DY. CPO/GAZ
DY. CPO/IR
DY. CPO/HQ
CHAIRMAN/RRC
SPO/HQ
SPO/IR
APO/IR

Sanjay/RSPB/2015/E(Sports)/4(1)/11/Open Adv.

Chos/policy

आरबीई सं80/2017
स्पष्टीकरण/शुद्धि पत्र सं. 81

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

सं. 2015 /ई (स्पोर्ट्स)/4(1)/11 नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2017

महाप्रबंधक (पी),

सभी क्षेत्रीय रेलें तथा
सीएलडब्ल्यू , डीएलडब्ल्यू, आईसीएफ,आरसीएफ, आईडब्ल्यूएफ, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएमडब्ल्यू /पटियाला,
महानिदेशक, अअमासं/लखनऊ

विषय : खेलकूद कोटे के संबंध में क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों में खिलाड़ियों की भर्ती

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 25.05.2016.का समसंख्यक पत्र ।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 25.05.2016 के समसंख्यक पत्र की ओर दिलाया जाता है जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि ग्रेड पे 1800/-रूपए में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आबंटित ग्रुप 'डी' कोटा को वर्ष 2016-17 के लिए स्थगित किया जाए।

08.05.2017 को रेल भवन में क्षेत्रीय रेलवे खेलकूद एसोसिएशन के अध्यक्षों तथा सचिवों की आरएसपीबी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रेड पे 1800/रूपए में खिलाड़ियों की भर्ती पर लगी रोक वर्ष 2017-18 के दौरान भी जारी रहेगी । बैठक के दौरान कुछ इकाइयों ने ग्रुप 'सी' में रिक्तियों के उपलब्ध न होने का मुद्दा उठाया था तथा ऐसे मामले में ग्रुप 'डी' में भर्ती करने का अनुरोध किया गया ।

यह निर्णय लिया गया है कि ग्रेड पे 1800/रूपए में खेलकूद कोटा के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती पर लगी रोक 2017-18 में भी जारी रहेगी, किसी उत्पादन इकाई में ग्रुप 'सी' में रिक्तियों के उपलब्ध न होने पर वे अपने महाप्रबंधकों की सिफ़ारिश पर पूर्ण औचित्य देते हुए खुले विज्ञापन के माध्यम से पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कोटि में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए अपने प्रस्ताव के साथ रेलवे बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं ।

(भास्कर राय चौधरी)
उप निदेशक, स्था.(स्पोर्ट्स)